

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

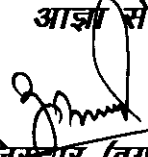
आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 158 /2022 दिनांक 25.11.2022

श्रीमती प्रीति मुकेश परनामी (RJ0626), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र), जोधपुर महानगर को दिनांक 28.11.2022 से 03.12.2022 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 26.11.2022 से 27.11.2022 एवं 04.12.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती परनामी की अनुपस्थिति में अपर सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र), जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है।

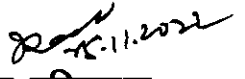
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/06/2010/78/2

दिनांक :25.11.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 6691 दिनांक 07.11.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती प्रीति मुकेश परनामी (RJ0626), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र), जोधपुर महानगर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्र), जोधपुर महानगर।
5. अपर सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जोधपुर महानगर।


सहायक रजिस्ट्रार